

संख्या-6/एफ1-07/2025 श्र0सं0....

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

राजीव रंजन,
संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार पटना।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -

विषय:- राज्य योजना "श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढीकरण" का वित्तीय वर्ष 2025-26 में कार्यान्वयन हेतु ₹ 13,00,00,000/- (तेरह करोड़) मात्र के अनुमानित व्यय की लागत पर अवधि विस्तार एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि "श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढीकरण" योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹ 13,00,00,000 /- (₹ तेरह करोड़) मात्र के अनुमानित व्यय पर वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888/वि0 दिनांक-03.12.2024 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत 2025-26 के लिए अवधि विस्तार एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसके अन्तर्गत ही इस वार्षिक कार्य योजना पर तत्काल व्यय किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत राशि मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-101-औद्योगिक संबंध-मांग सं0-26-उपशीर्ष-0108-श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011010108) के अन्तर्गत निम्नांकित इकाइयों से विकलनीय होगा :-

क्र.स.	विषय शीर्ष	बजट उपबंध
1	13.01 कार्यालय व्यय	5000000
2	13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	40000000
3	14.01 किराया महसूल एवं कर	1000
4	16.01 प्रकाशन एवं मुद्रण	1000
5	20.02 कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार	2000000
6	20.03 प्रशिक्षण व्यय	2200000
7	26.01 विज्ञापन और प्रकाशन	200000
8	27.01 लघु कार्य	1000
9	28.02 संविदा सेवाएँ	1000
10	28.04 व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ	1000
11	52.01 मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय	85095000
	योग-26-2230.01.101.0108-श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढीकरण	₹ 13,00,00,000

(₹ तेरह करोड़) मात्र।

24

4. इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹ 13,00,00,000 /- (₹ तेरह करोड़) मात्र का उद्ध्यय / बजट उपबंध स्वीकृत है। जिसके विषयवार अनुमानित व्यय विवरण निम्न प्रकार है:-

1	श्रमायुक्त बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों के कम्प्यूटराईजेशन एवं उपस्कर पर व्यय	₹	85095000
2	संविदा के आधार पर परिवहन पर व्यय	₹	40000000
3	न्यूनतम मजदूरी का प्रचार-प्रसार पर व्यय	₹	200000
4	सेमिनार, वर्कशॉप, प्रशिक्षण एवं सिम्पोजियम पर व्यय	₹	2000000
5	पदाधिकारियों/कर्मचारियों की क्षमता का उन्नयन (प्रशिक्षण) पर व्यय	₹	2200000
6	कार्यालय व्यय (टोकन मनी के रूप में)	₹	500000
7	लघु कार्य (टोकन मनी के रूप में)	₹	1000
8	किराया महसूल एवं कर (टोकन मनी के रूप में)	₹	1000
9	संविदा सेवाएँ (टोकन मनी के रूप में)	₹	1000
10	प्रकाशन एवं मुद्रण पर व्यय	₹	1000
11	व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएं पर व्यय	₹	1000
कुल-		₹	130000000

5. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक (कृ.श्र.) निदेशालय/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/सभी संबंधित उप श्रमायुक्त/सभी संबंधित सहायक श्रमायुक्त/सभी संबंधित श्रम अधीक्षक/श्रमायुक्त के सचिव, बिहार, पटना/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी संबंधित कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी वाष्पित्र निरीक्षक एवं प्रबंधक, बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी श्रमायुक्त, बिहार होंगे।
6. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार/विकास भवन कोषागार, पटना/सिंचाई भवन कोषागार, पटना से होगी।
7. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति प्राप्त है।
8. इस योजना की स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव पर सचिव, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
9. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(राजीव रंजन)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- 6/एफ1-07/2025 श्र0सं0- 2242

पटना, दिनांक- 02/05/2025

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव के सचिव, श्रम संसाधन विभाग/कार्यकारी निदेशक, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार/ सिंचाई भवन, कोषागार /श्रमायुक्त के सचिव, पटना /प्रशाखा-02(सरकार पक्ष)/लेखा शाखा (श्रम पक्ष) एवं आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।